रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 428] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 1985/भाद्र 15, 1907
No. 428] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 1985/BHADRA 15, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1985

का. आ. 654(अ) :—केन्द्रीय सरकार खाद्य उपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 2 के खंड (4) के अनुसरण में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 81(अ), तारीख 8 फरवरी, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) सारणी 1 में क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ (1) में विद्यमान

प्रति पदों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"श्री के. वी. नागराजा" ;

(ख) सारणी 2 में क्रमांक 1 के सामने, स्तंभ 1 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

'श्री जे. एस. सन्धू" ।

[सं. पी. 15014/7/82-पी एच./(एफ एण्ड एन.) पी एफ. ए]

एस. वी. सुब्रमण्यन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September 1985

S.O. 654(E).—In pursuance of clause (iv) of section 2 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare Department of Health) No. S.O. 81(E), dated the 8th February, 1978, namely :—

In the said notification,—

(a) in Table II, in column (2) against serial no. 1, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

'Shri K. V. Nagaraja":

(b) in Table II, in column (2), against serial no. 1, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"Shri J. S. Sandhu".

[No. P. 15014/7/82-PH(F&N)PFA]

S. V. SUBRAMANIYAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985